

खण्ड - II

अ - महत्वपूर्ण तिथियां

क्रं.	जानकारी	विवरण
1	संक्षिप्त विवरण	वनमंडल दक्षिण सागर मे सोलर पैनल क्रय एवं स्थापना कार्य हेतु दरों की निविदा
2	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	व्यय/2025/154... दिनांक 29/08/2025
3	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	500/- + प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचलित रूप मे निर्धारित)
4	सत्यांकर निधि	₹ 35,000/-
5	निविदा प्रस्ताव की वैधता	वित्तीय वर्ष 2025-26 जिसमें वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है।
6	निष्पादन सुरक्षा	₹ 35,000/-
7	अनुमानित निविदा मूल्य	₹ 11,50,000/-
8	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	15.09.2025 दोपहर 02 बजे
9	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय एवं तिथि	16.09.2025 दोपहर 03 बजे
10	निविदा पूर्व बैठक की तिथि और समय	04.09.2025 दोपहर 12 बजे
11	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा https://mptenders.gov.in/

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड - III

ब - निविदा दस्तावेज

(1) निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे

1. जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. पैन कार्ड
3. विगत तीन वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के आयकर रिटर्न ।
4. 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक -1
5. अनुलग्नक -02
6. अनुलग्नक -03
7. अनुलग्नक -04 पूर्व योग्यता मापदण्ड प्रमाण पत्र
8. अनुलग्नक - 06 (संयुक्त उद्यम)- यदि लागू हो
9. सी0ए0 द्वारा प्रमाणित टर्नओवर प्रमाणपत्र
10. दुकान/प्रतिष्ठान का वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति
11. सत्यंकार की राशि रुपये 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये मात्र) जमा की रसीद ।
12. संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षों में मान्यता प्राप्त संस्था हेतु उपयोग निविदा में दर्शित सामग्री प्रदाय किया हो, संबंधित संस्था का कार्य आदेश/प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रमाण स्वरूप अपलोड करें ।
13. निर्धारित प्रपत्र A1
14. सेम्पल जमा करने की पावती अभिस्वीकृति ।
15. अनुलग्नक 03 अनुसार स्थल भ्रमण की जियोटैग्ड फोटोग्राफ्स ।

निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देश एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा ।


वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड - IV

वर्ष 2025-26 के लिए सामग्री प्रदाय करने हेतु निविदा की शर्तें दक्षिण सागर वनमंडल

1. आनलाईन निविदा डालने हेतु सत्यंकार की राशि रु. 35,000/- (पैंतीस हजार रु) आनलाईन जमा करनी होगी । सत्यंकार राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।
2. निविदाकार का विगत तीन वित्तीय वर्ष (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) में न्यूनतम राशि रु. 35 लाख का टर्नओवर होना अनिवार्य है । फर्म के टर्न ओवर की चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है । इन वर्षों के अंकेक्षित लेखे/बैलेन्स शीट भी अपलोड करना अनिवार्य है ।
3. निविदाकार को निविदा के साथ अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की पठनीय स्कैन प्रति, जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर हों, अपलोड करना अनिवार्य है । दस्तावेज अपठनीय होने पर निविदाकार को निविदा से बाहर किया जा सकता है ।
4. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता वित्तीय वर्ष 2025-26 रहेगी जो सफल निविदाकार और वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है ।
5. सामग्री की मात्रा अनुमानित है, जो घट-बढ़ हो सकती है, निविदाकार को क्रय आदेश जारी होने के उपरांत स्वीकृत न्यूनतम दर पर ही सामग्री प्रदाय करनी होगी ।
6. सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि रु. 35,000/- की एफ.डी.आर. जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी की गयी हो एवं वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के नाम से हो, जमा करना अनिवार्य होगा ।
7. सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में सामग्री प्रदाय न करने अथवा प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मानक (जो कि वन मंडल अधिकारी या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जाँची जावेगी) न होने की स्थिति में वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल द्वारा सफल निविदाकार की निविदा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि जप्त की जावेगी तथा फर्म को दो वर्ष के लिये कालीसूची में दर्ज किया जावेगा, इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकार से की जावेगी । ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा ।
8. निविदा में दर्शित निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक सामग्री प्राप्त न होने पर अस्वीकृत सामग्री को प्रदायकर्ता को अपने व्यय से तत्काल मौके से हटाना होगी ।
9. प्रत्येक सामग्री/Item के लिये सफल निविदाकार का चयन न्यूनतम दर L1 के आधार पर किया जावेगा । सामग्री की मांग अनुसार सामग्री के प्रदाय आदेश L1 को जारी किये जावेंगे । यदि L1 फर्म के द्वारा निर्धारित समयावधि में संबंधित स्थलों पर सामग्री प्रदाय नहीं की जाती है तो तकनीकी निविदा में सम्मिलित अन्य सफल निविदाकार से भी L1 की दरों पर सामग्री क्रय की जा सकेगी ।
10. वनमंडल दक्षिण सागर की क्षेत्रीय सीमा के अंदर वन परिक्षेत्र सागर, ढाना, राहतगढ़, गढ़ाकोटा, केसली, गौरझामर, देवरी एवं काष्ठागार सिरोंजा के वनक्षेत्रों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी इसके लिए अनुलग्नक 3 हस्ताक्षरित कर अपलोड करना अनिवार्य है ।
11. भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करों की कटौती की जावेगी ।

12. सामग्री का प्रदाय, आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस के अंदर आदेशित स्थल तक परिवहन करना होगा ।
13. प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावे, जिससे मापन में सुविधा हो ।
14. यदि सामग्री की आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह से अधिक विलम्ब होने पर निविदाकार का अनुबंध समाप्त किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि जब्त कर ली जावेगी एवं शर्त क्रमांक 09 अनुसार अन्य निविदाकारों से L1 की दरों पर सामग्री क्रय कर ली जावेगी ।
15. निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर सकारण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल के पास सुरक्षित होगा ।
16. निविदा दर स्वीकृत होने पर 500/- रु. के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा ।
17. जो निविदा मान्य नहीं होगी, उनकी सत्यंकार की राशि शीघ्रातिशीघ्र लौटा दी जावेगी ।
18. स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गयी सत्यंकार की राशि पर किसी भी प्रकार का व्याज देय नहीं होगा ।
19. वनमंडल अधिकारी दक्षिण सागर को निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
20. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल का निर्णय अंतिम होगा ।
21. निविदा विषयक विवाद में अंतिम निर्णय वनमंडल अधिकारी, दक्षिण सागर वनमंडल का होगा ।
22. किसी भी तरह के विवाद के लिये न्यायालय क्षेत्र सागर न्यायालय के अंतर्गत ही रहेगा ।
23. निविदा की स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये मान्य होगी, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा यदि आवश्यक समझा जावेगा तो निविदा की अवधि बढ़ायी जा सकेगी ।
24. वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बतायें प्रस्ताव के लिए अनुरोध के लिए (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है, निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिबंधता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह प्रस्ताव के लिये अनुरोध (आर0एफ0पी0) निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है, इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है ।
25. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानी पूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है ऐसा ना करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
26. सत्यंकार निधि जब्त करने और निविदा को किसी भी प्रक्रिया पर अस्वीकार या निरस्त करने के संबंध में अंतिम निर्णय निविदाकर्ता का होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
27. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी । निविदाकार वन मंडलाधिकारी द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे जो कि वन मंडल की भौगोलिक सीमा तक होगी । निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
28. यदि निविदा की बैद्यता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गये दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधडी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है जिसके बाद निविदाकार की सत्यंकार की राशि (ई एम डी) और निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जप्त की जा सकती है।

29. इस निविदा सूचना में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार वन मंडल अधिकारी दक्षिण सागर वनमंडल के पास होगा।
30. निविदाकार को अपनी व्यक्तिगत/फर्म की समस्त जानकारी निर्धारित प्रपत्र A1 एवं अनुलग्नक 2 में दर्ज कर अपलोड करना अनिवार्य होगी।
31. सामग्री की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रदाय आदेश स्वीकृत निविदाकर्ता के व्हाट्सएप/ई-मेल पर प्रेषित किये जावेंगे, जिन्हें निविदाकार को मान्य करना होगा।
32. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
33. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/आपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।
34. निविदाकार को खण्ड 1 में दर्शित समस्त सामग्री के सेम्पल दिनांक 12.09.2025 तक (सेम्पल में अमिट स्याही से फर्म का नाम एवं पता उल्लेख होना अनिवार्य है) वनमंडल कार्यालय में प्रेषित करना अनिवार्य है, सेम्पल जमा करने की पावती अभिस्वीकृति निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगी, सेम्पल का मूल्य पृथक् से देय नहीं होगा एवं न ही सेम्पल वापिसी योग्य होगा। सेम्पल प्राप्त न होने की स्थिति में निविदाकार को तकनीकी निविदा में अमान्य कर दिया जावेगा।
35. खण्ड 1 में दर्शित सामग्री के सेम्पल केवल कार्यालयीन दिवस एवं समय (प्रातः 10 बजे से सांय 06 बजे तक) पर ही लिये जा सकेंगे। शासकीय अवकाश के दिवसों में सेम्पल लिया जाना संभव नहीं होगा।
36. निविदाकार को अनुलग्नक '08' में दर्शित संभावित स्थलों का निरीक्षण कर अनुलग्नक 3 प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा स्थल भ्रमण की जियोटैग्ड फोटोग्राफ्स भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
37. निविदाकार को खण्ड VI में दर्शित निर्धारित स्पेशिफिकेशन की ही सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी।
38. उपरोक्तानुसार शर्त क्रमांक 01 से 36 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) की राशि राजसात की जावेगी तथा संबंधित फर्म को दो वर्ष के लिये कालीसूची में दर्ज किया जावेगा।

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

खण्ड – VI

Additional Terms and Condition

1- Off Grid Solar Photovoltaic (PV) Power Plant - 2kVA में निम्नानुसार विशेषतायें होना आवश्यक हैं –

Specification	Specification Name	Bid Requirement (Allowed Values)
Generic	Capacity of power plant (kVA)	2
PV Module	Type of Solar Module	Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) modules conforming to IS 14286 IS/IEC 61730 -1 IS/IEC 61730 -2
	Rated power of PV module (in Wp) - Minimum	2000
Power Conditioning Unit (PCU)/ Solar Inverter	Rated Power (in kVA) (Hint: Inverter Rating)	2.00
	Charger technology	MPPT

2- SPECIFICATION OF 2KVA SOLAR SYSTEM-

Parameters	Values
RATED POWER OF EACH PV MODULE USED	535 WATT AND MORE X 4 PANEL
MODULE WARRANTY	20 Years
WARRANTY OF PCU (INVERTER)	24 Months
CHARGER TECHNOLOGY	RMPPT
RATED POWER (KVA)	2
NOMINAL BATTERY DC SYSTEM	24
STRUCTURE TYPE	GALVANISED MODULE MOUNTING STRUCTURE
CAPACITY OF POWER PLANT	2 KVA
GENERIC	ACDB, DCDB, EARTHING AND LA
BATTERY TYPE	LIFEPO4 (LITHIUM)
BATTERY CAPACITY	100 AH
BATTERY VOLTAGE	25.6
BATTERY WARRANTY	3 YEARS
NUMBER OF BATTERY	1
SOLAR PANEL, BATTERY & PCU INVERTER	ALL MUST BE OF SAME BRAND
CIVIL WORK	RCC WORK ON GI STRUCTURE MUST BE DONE BY SUPPLIER.

3- ALL UNITS (SOLAR PANEL, INVERTER AND BATTERY) MUST BE OF SINGLE AND SAME BRAND WILL BE ENTERTAINED. NO ASSEMBLE BRANDS WILL BE ENTERTAINED.

4- MANUFACTURER / SUPPLIER MUST BE INTO MANUFACTURING OR TRADING OF MNRE APPROVED INTEGRATED SOLAR OFF GRID SYSTEM. BIDDER HAVE TO SUBMIT DOCUMENTS FOR THE SAME .BIDDER MUST SUBMIT THE FULL PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICALS OF THE PRODUCT OFFERED.

5- MANUFACTURER MUST SUBMIT MANUFACTURING LICENSE AND MANUFACTURING PLANT PHOTOS, WHEN THEY SEEK MSME EXEMPTION.

6- BIDDER MUST SUBMIT TEST REPORT OF LITHIUM ION BATTERY CELLS AND TEST REPORT OF INVERTER.

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर वनमंडल

९

प्रति,

// प्रपत्र A-1 //

वनमंडल अधिकारी,
दक्षिण सागर (सामान्य) वनमंडल, सागर

विषय :- सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2025-26

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है -

क्रं.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	पत्र व्यवहार के लिये ई-मेल आई डी	
4	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
5	पदनाम	
6	मोबाईल नम्बर	
7	पत्र व्यवहार हेतु व्हाट्सएप नम्बर	

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के खण्ड 01 से 06 में दर्शित शर्तों के अनुसार उपयोगी ई-निविदा में दर्शित सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2025-26 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं ।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील

अनुलग्नक 08 (अनुलग्नक -3 अनुसार सामग्री प्रदाय क्षेत्र घूमण की संभावित सूची)

क्रं	परिक्षेत्र	भवन का प्रकार	स्थल
1	राहतगढ़	वनरक्षक आवास	लखनपुर
2	राहतगढ़	वनरक्षक आवास	कालीपठार
3	राहतगढ़	वनरक्षक आवास	शिकारपुर
4	सागर	वनरक्षक आवास	भिलैया
5	सागर	वनरक्षक आवास	सेमाढाना